मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

ई–5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2014 भोपाल, दिनांक

–: कार्यालय आदेश :–

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 मे निहित प्रावधानो के विरूद्ध बिना सम्मति के कार्यरत इकाईयों के नियमितिकरण की सुविधा 31.03.2015 तक प्रदान की जाती है। इस हेतु प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी किये जाने वाली सम्मति को सरलीकृत प्रकिया के अन्तर्गत बोर्ड की बेवसाईड www.mppcb.nic.in के होमपेज पर इकाई को रजिस्ट्रेशन कर आई.डी. व पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एक लिंक पर सुविधा उपलब्ध है ।

(2) उपरोक्त लिंक को क्लिक करने पर निर्धारित प्रपत्र का प्रारुप व वांछित दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध है । उपरोक्त जानकारी एवं दस्तावेज बोर्ड के ईमेल आईडी "narmadaxgn@gmail.com" पर भेजना होगा।

(3) उपरोक्त Email प्राप्त होने पर इकाई को आई.डी. व पासवर्ड एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से आवेदन में उल्लेखित मोबाइल नम्बर पर स्वतः उपलब्ध हो जावेगा।

(4) उपरोक्त आई.डी. व पासवर्ड से इकाई द्वारा आनलाईन आवेदन बोर्ड की बेवसाईड के होम पेज पर नर्मदा एक्स.जी.एन. से लिंक हो जावेगा। प्राप्त आवेदन को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 दिन में प्रोफाईल/ अनुमोदित किया जावेगा। उसकी सूचना भी एक्सजीएन के माध्यम से एसएमएस अलर्ट संबंधित को प्राप्त हो जावेगा। आवेदन पूर्ण होते ही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपरोक्त आवेदन प्राप्ति की स्वीकृति ऑनलाईन भेजी जावेगी ।

(5) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् इकाईयों के आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थापना शुल्क व पूर्व के वर्षो का नवीनीकरण शुल्क जमा कराया जाना आवश्यक होगा । यदि कुल शुल्क की राशि रू. 25,000/– से अधिक है तो उपरोक्त अधिक शुल्क 6 समान किश्तों में एकवर्ष के अन्दर जमा कराने की सुविधा दी जाती है । यह शुल्क बोर्ड के ऑनलाईन खाता कमांक 3229010100012663, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक कोड – 024, ब्रांच कोड 0631000, आईएफएससी/आईएसओ कोड PUNB0631000, एमआईसीआर कोड 462024015 अथवा "सदस्य सचिव, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल" अथवा संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को देय डी.डी. द्वारा जमा किया जा सकता है । (शुल्क की जानकारी बोर्ड की वेवसाइट www.mppcb.nic.in के Home page पर उपलब्ध है)

(6) इकाई द्वारा अनुमोदित आवेदन की हार्ड कॉपी पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है अथवा निरीक्षण के दौरान प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती है।

(7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण किया जावेगा ।

(8) सम्मति प्रदान करने संबंधी निर्णय लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लिया जावेगा व वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु प्राप्त आवेदनों को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना होगा, जिस पर निर्णय बोर्ड मुख्यालय द्वारा लिया जावेगा।

(9) ऑनलाईन सम्मति की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित होगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड सम्मति आदेश भी इकाई के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर स्वतः प्रेषित होगा।

(10) उपरोक्त प्रकिया से 45 दिन में सम्मति देने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।

(11) Narmada XGN के माध्यम से उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका बोर्ड की वेबसाईड पर उपलब्ध है ।

उपरोक्त प्रकिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

/

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0कमांक 2324 /स्था/प्रनिबो/2014 भोपाल, दिनांक 14/10/2014

प्रतिलिपि :-

1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 शासन भोपाल ।
2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल ।
3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 शासन भोपाल
4 निज सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल ।
5 निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
6 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
7 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. प्रभारी आई.टी. शाखा म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. गार्ड फाइल ।

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव